

न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं  
ठासीन अधिकारी :::: सतीश कुमार(नायब तहसीलदार)

मिसल नं. ::::

सरकार

बनाम

122/2021

प्रदीप पुत्र झण्डुराम, जाति- मेधवाल,  
निवासी- कुलोठ कलां

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 18.08.2021

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल स्वयं अनुपस्थित। गैर सायल की ओर से उसका ताऊ का पुत्र अनुप कुमार उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल प्रदीप पुत्र झण्डुराम, जाति-मेधवाल, निवासी- कुलोठ कलां द्वारा रोही मौजा कुलोठ कलां की भूमि ख.नं. 176 कुल रकबा 7.74 है० किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.02 है० भूमि पर पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल की ओर से उसके ताऊ के पुत्र अनुप कुमार ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया। जवाब नोटिस में अंकित किया है कि प्रदीप कुमार व उनकी माताजी वर्तमान में घर में नहीं रहते हैं। प्रदीप कुमार एन.एस.जी. आसाम में कमाण्डो है, जब भी प्रदीप कुमार छुट्टी लेकर आयेगा तब वह अपने मकानों को तोड़ लेगा। चूंकि उक्त कब्जे के विधिक होने के समर्थन में अन्य कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया गया है। गैर सायल का जवाब संतोषप्रद नहीं माना जा सकता है। चूंकि भूमि की किस्म गै.मु.जोहड़ है एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में डी. बी. अपील सं. 1536/03 में दिये गये निर्णय के अनुसार नदी, नाले, जोहड़, पायतन आदि भूमि एवं जल प्रवाह व जल संग्रहण की भूमि के आवंटन/ नियमन पर प्रतिबन्ध है। एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य CIVIL APPEAL NO.1132/2011 @ SLP(C) No.3109/2011 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) CC No. 19869 of 2010) निर्णय दिनांक 28 जनवरी 2011 के द्वारा आवंटन एवं प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 6रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें। मिसल फौसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 18.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० सं० ४ के वृष्ट सं. 22  
वर्ष. 2021-22 में रुपये 6/- कायम

(सतीश कुमार)